

माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापकों हेतु  
अन्तर-जिला स्थानान्तरण (Inter-District Transfer) हेतु आवेदन पत्र

1	नाम				
2	कर्मचारी पहचान संख्या (Employee Id)				
3	वर्तमान पद का विवरण	मूल पद मय विषय पदस्थापित पद मय विषय			
4	वर्तमान पदस्थापन स्थान				
5	विद्यालय कोड (IFMS code)				
6	प्रथम नियुक्ति तिथि				
7	वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण तिथि				
8	सेवानिवृत्ति तिथि				
9	गृह जिला				
10. प्रथम नियुक्ति तिथि से अब तक का सेवा विवरण					
क्र.सं.	नाम पद	विद्यालय का नाम	कार्यरत अवधि		
			दिनांक.....से	दिनांक.....तक	
11	राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत नियुक्ति की स्थिति	हाँ/नहीं			
12	परीवीक्षाकाल समाप्त होने की स्थिति	हाँ/नहीं			
13	आवेदनकर्ता निम्नांकित श्रेणियों में से जिस श्रेणी में आवेदन कर रहा है उस श्रेणी के सम्मुख ✓ का निशान लगाये :-				
श्रेणी 1	31.12.2012 के पश्चात नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापक जिनका परीवीक्षाकाल पूर्ण हो चुका है उन अध्यापकों हेतु 3 विशेष श्रेणी ● श्रेणी 1 से 3 के संबंध में आवेदन -पत्र के साथ मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र, जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।	(1)	निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित शिक्षक:-		
			(i)	कैन्सर।	
			(ii)	गुर्दा प्रत्यारोपण।	
			(iii)	हृदय शल्य चिकित्सा।	
	(2)	पूर्णतः दृष्टिहीन			
	(3)	100 प्रतिशत दिव्यांग			

श्रेणी 2	दिनांक 31.12.2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों हेतु 9 विशेष श्रेणी • श्रेणी 1 से 7 के संबंध में आवेदन -पत्र के साथ मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र, जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। • श्रेणी 8 के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं स्थानान्तरण आवेदन की तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। • श्रेणी 9 के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी (न्यायालय) द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं स्थानान्तरण आवेदन की तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।	(1)	पूर्णतः दृष्टिहीन	
		(2)	70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	
		(3)	निम्न असाध्य बीमारियों से पीड़ित शिक्षक:-	
			(i) कैंसर।	
			(ii) गुर्दा प्रत्यारोपण।	
			(iii) हृदय शल्य चिकित्सा।	
		(4)	40 से 70 प्रतिशत तक दिव्यांग।	
		(5)	जिनके आश्रित बच्चे मंद बुद्धि के हो एवं उपचारत हो।	
		(6)	जिनके बच्चों के कैंसर, दिल में छिद्र एवं ब्रेन ट्यूमर हो तथा वे उपचाराधीन हो।	
(7)	महिलाएं/पुरुष जिनके पति/ पत्नी बिन्दु संख्या 3 पर वर्णित बीमारियों से ग्रसित हो।			
	(8)	विधवा।		
	(9)	परित्यक्ता (कानूनी रूप से)/विवाह विच्छेद शुदा (कानूनी रूप से) अध्यापिका।		
श्रेणी 3	आवेदन की स्थिति गैर-प्रतिबंधित/प्रतिबंधित जिले से प्रतिबंधित जिले हेतु	हाँ/नहीं		
श्रेणी 4	प्रतिबंधित जिले से अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु नियुक्ति 31.12.2008 से पूर्व की है?	हाँ/नहीं		
श्रेणी 5	गैर-प्रतिबंधित जिले से अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु नियुक्ति 31.12.2012 से पूर्व की है?	हाँ/नहीं		
14	अन्तर-जिला स्थानान्तरण (Inter-District Transfer) हेतु प्राथमिकतानुसार तीन जिलों के नाम	1.	.....	
		2.	.....	
		3.	.....	
<p align="center"><b>घोषणा</b></p> <p>मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अन्तर-जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया है। उक्त अन्तर-जिला स्थानान्तरण से मेरी वरिष्ठता का विलोपन होगा, इसकी मुझे जानकारी है तथा मैं इससे सहमत हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा भरी गई समस्त सूचनाएँ पूर्णतया सही हैं।</p> <p align="right"> <b>हस्ताक्षर आवेदक</b>  <b>नाम</b>  <b>पद एवं पदस्थापन स्थान</b> </p> <p>नोट :-यह स्थानान्तरण आवेदन-पत्र स्थानान्तरण किये जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना का विभागीय रिकॉर्ड से जाँच उपरान्त गुणावगुण के आधार परीक्षण कर आवेदन पर कार्यवाही की जावेगी।</p>				

आवेदन प्राप्ति रसीद

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक राजस्थान बीकानेर

श्री/सुश्री/श्रीमती.....पद.....द्वारा स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र  
कार्यालय में संधारित रजिस्टर में क्रम संख्या .....दिनांक..... पर दर्ज कर लिया गया  
है।

हस्ताक्षर आवेदन प्राप्तकर्ता

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

